HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 11616/2026
URN: CW / 25698U / 2026

Sahari Ajeevika Kendra Sansthan, Jhunjhunu Through Its Secretary Vimal Kumar Yadav S/o Shri Surajmal Yadav, Aged 53 Years, R/o Road No.1, Jhunjhunu (Raj.)

----Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through Its Director And Special Secretary, Local Self Department, State Of Rajasthan, Office At G-3, Rajmahal Residency, C-Scheme, Near Civil Lines Phatak, Jaipur (Raj.)
2. Commissioner And Secretary, District Level Coordinator Andmonitoring Committee, Shri Annapurna Rasoi Scheme, Nagar Parishad, Jhunjhunu, (Raj.).
3. District Collector And Ex- Officio, President, District Level Coordinator And Monitoring Committee, District Jhunjhunu (Raj.)
4. Commissioner, Nagar Parishad, Jhunjhunu (Raj).

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Sanjay Mehla with Ms. Sunita Mehla
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

09/07/2026

याचिकाकार को याचिका पर सुना गया।

याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आलौच्य आदेश दिनांक 10.06.2026 जिसके द्वारा याची को अनिश्चित काल के लिए स्थाई रूप से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है तथा उस पर एक लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है, वह याचिकाकार को बिना प्रभावी सुनवाई का अवसर प्रदान किए पारित किया गया है। साथ ही याची ने इस सम्बन्ध में अपना पक्ष रखा था, उसके सम्बन्ध में कोई विवरण

आलौच्य आदेश में नहीं है व उसे विचार में लाए बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया गया है। इस कारण आलौच्य आदेश संधारित किए जाने योग्य नहीं है।

विचार किया गया। अयाचीगण को चार सप्ताह में **वापसी योग्य** नोटिस जारी किए जावें।

याची ने अंतरिम स्थगन की प्रार्थना की एवं निवेदन किया कि इसी प्रकृति के मामलों में न्यायालय की समकक्ष पीठ ने निम्न मामलों में अंतरिम आदेश पारित किए हैं:–

1. रिट याचिका संख्या 19796/2025

   प्रसविता सर्विसेज एण्ड इनोवेशन प्रा0 लि0–बनाम–निदेशक एवं संयुक्त सचिव आदि आदेश दिनांक 17.12.2025

2. रिट याचिका संख्या 10791/2026

   जय माता दी सैल्फ हैल्प ग्रुप–बनाम–डायरेक्टर एण्ड स्पेशल सेक्रटरी एवं अन्य आदेश दिनांक 22.06.2026

विचार किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में इस आशय का अंतरिम स्थगन आदेश दिया जाता है कि आगामी तिथि तक आलौच्य आदेश दिनांक 10.06.2026 का प्रभाव एवं क्रियान्विति स्थगित रहेगी।

(SHUBHA MEHTA),J

39/AJAY KUMAR SINGHAL/712